

Mail

पत्रांक -1/आ0प्र0यो0-09/2017/.....129...../आ0प्र0  
बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, <sup>आ0प्र0से0</sup>  
अपर सचिव।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना-15, दि0- 11/11/18

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष -0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विपत्र कोड-39- 2245808000102, विस्तृत शीर्ष- 26-विज्ञापन और प्रकाशन, विषय शीर्ष - 01- विज्ञापन और प्रकाशन के अन्तर्गत ₹4.20 लाख (चार लाख बीस हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति ।

आदेश -स्वीकृत ।

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-116/आ0प्र0 दिनांक --25.05.17 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत राशि में से आवंटित की जा रही है ।

3. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष -2017-18 में राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष -0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड -39-2245808000102, मांग सं0-39, विस्तृत शीर्ष- 26-विज्ञापन और प्रकाशन, विषय शीर्ष - 01- विज्ञापन और प्रकाशन के अन्तर्गत मूल बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

4. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी उपमुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उपशीर्षवार निम्नप्रकार है:-  
उप मुख्य शीर्ष -80-सामान्य  
लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय  
उपशीर्ष -0102  
मांग सं0-39,  
विस्तृत शीर्ष-26-विज्ञापन और प्रकाशन, विषय शीर्ष - 01- विज्ञापन और प्रकाशन  
(राशि रुपये में )

क्र0	जिला का नाम	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	योग
1	पटना	2,00,000 (दो लाख)	10,000 (दस हजार)	2,10,000 (दो लाख दस हजार)
2	नालन्दा	1,00,000 (एक लाख)	10,000 (दस हजार)	1,10,000 (एक लाख दस हजार)
3	गया	25,000 (पच्चीस हजार)	10,000 (दस हजार)	35,000 (पैंतीस हजार)
4	नवादा	25,000 (पच्चीस हजार)	10,000 (दस हजार)	35,000 (पैंतीस हजार)
5	औरंगाबाद	25,000 (पच्चीस हजार)	10,000 (दस हजार)	35,000 (पैंतीस हजार)

6	जहानाबाद	25,000 (पच्चीस हजार)	10,000 (दस हजार)	35,000 (पैतीस हजार)
7	अरवल	25,000 (पच्चीस हजार)	10,000 (दस हजार)	35,000 (पैतीस हजार)
8	भोजपुर	1,00,000 (एक लाख)	10,000 (दस हजार)	1,10,000 (एक लाख दस हजार)
9	बक्सर	1,00,000 (एक लाख)	10,000 (दस हजार)	1,10,000 (एक लाख दस हजार)
10	भभुआ (कैमूर)	25,000 (पच्चीस हजार)	10,000 (दस हजार)	35,000 (पैतीस हजार)
11	रोहतास (सासाराम)	25,000 (पच्चीस हजार)	10,000 (दस हजार)	35,000 (पैतीस हजार)
12	वैशाली	2,00,000 (दो लाख)	10,000 (दस हजार)	2,10,000 (दो लाख दस हजार)
13	मुजफ्फरपुर	2,00,000 (दो लाख)	10,000 (दस हजार)	2,10,000 (दो लाख दस हजार)
14	सारण	1,00,000 (एक लाख)	10,000 (दस हजार)	1,10,000 (एक लाख दस हजार)
15	सिवान	1,00,000 (एक लाख)	10,000 (दस हजार)	1,10,000 (एक लाख दस हजार)
16	गोपालगंज	1,00,000 (एक लाख)	10,000 (दस हजार)	1,10,000 (एक लाख दस हजार)
17	पूर्वी चम्पारण	2,00,000 (दो लाख)	10,000 (दस हजार)	2,10,000 (दो लाख दस हजार)
18	प0 चम्पारण	1,00,000 (एक लाख)	10,000 (दस हजार)	1,10,000 (एक लाख दस हजार)
19	सीतामढी	2,00,000 (दो लाख)	15,000 (पंद्रह हजार)	2,15,000 (दो लाख पंद्रह हजार)
20	शिवहर	2,00,000 (दो लाख)	10,000 (दस हजार)	2,10,000 (दो लाख दस हजार)
21	दरभंगा	2,00,000 (दो लाख)	15,000 (पंद्रह हजार)	2,15,000 (दो लाख पंद्रह हजार)
22	मधुबनी	2,00,000 (दो लाख)	15,000 (पंद्रह हजार)	2,15,000 (दो लाख पंद्रह हजार)
23	समस्तीपुर	2,00,000 (दो लाख)	10,000 (दस हजार)	2,10,000 (दो लाख दस हजार)
24	बेगुसराय	2,00,000 (दो लाख)	10,000 (दस हजार)	2,10,000 (दो लाख दस हजार)
25	मुंगेर	25,000 (पच्चीस हजार)	10,000 (दस हजार)	35,000 (पैतीस हजार)
26	जमुई	25,000 (पच्चीस हजार)	10,000 (दस हजार)	35,000 (पैतीस हजार)
27	लखीसराय	1,00,000 (एक लाख)	10,000 (दस हजार)	1,10,000 (एक लाख दस हजार)
28	शेखपुरा	1,00,000 (एक लाख)	10,000 (दस हजार)	1,10,000 (एक लाख दस हजार)
29	भागलपुर	2,00,000 (दो लाख)	10,000 (दस हजार)	2,10,000 (दो लाख दस हजार)

30	बाँका	25,000 (पच्चीस हजार)	10,000 (दस हजार)	35,000 (पैंतीस हजार)
31	खगड़िया	2,00,000 (दो लाख)	10,000 (दस हजार)	2,10,000 (दो लाख दस हजार)
32	सहरसा	2,00,000 (दो लाख)	10,000 (दस हजार)	2,10,000 (दो लाख दस हजार)
33	सुपौल	2,00,000 (दो लाख)	15,000 (पंद्रह हजार)	2,15,000 (दो लाख पंद्रह हजार)
34	मधेपुरा	2,00,000 (दो लाख)	15,000 (पंद्रह हजार)	2,15,000 (दो लाख पंद्रह हजार)
35	कटिहार	2,00,000 (दो लाख)	10,000 (दस हजार)	2,10,000 (दो लाख दस हजार)
36	पूर्णियाँ	1,00,000 (एक लाख)	10,000 (दस हजार)	1,10,000 (एक लाख दस हजार)
37	अररिया	1,00,000 (एक लाख)	15,000 (पंद्रह हजार)	1,15,000 (एक लाख पंद्रह हजार)
38	किशनगंज	1,00,000 (एक लाख)	15,000 (पंद्रह हजार)	1,15,000 (एक लाख पंद्रह हजार)
योग:		45,50,000 (पैंतालीस लाख पचास हजार)	4,20,000 (चार लाख बीस हजार)	49,70,000 (उनचास लाख सत्तर हजार)

5. यह आवंटन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ज्ञापांक 3413 दिनांक 15.12.17 द्वारा किये गए अनुरोध एवं विभागीय संकल्प संख्या-125 दिनांक 13.01.2012 के आलोक में भूकम्प सुरक्षा सप्ताह हेतु निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

7. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रताशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष / उपमुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष / उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।


9. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक -2561वि0(2) दिनांक -17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक -15.03.2018 तक निश्चित रूप से की दें, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

11. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात् पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया जाय।

12 इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - 129 /आ0प्र0, पटना-15, दि0- 11/1/18  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट)/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


ज्ञापांक - 129 /आ0प्र0, पटना-15, दि0- 11/1/18  
प्रतिलिपि:- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक - 129 /आ0प्र0, पटना-15, दि0- 11/1/18  
प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक - 129 /आ0प्र0, पटना-15, दि0- 11/1/18  
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, आ0प्र0 विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक - 129 /आ0प्र0, पटना-15, दि0- 11/1/18  
प्रतिलिपि:- सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ज्ञापांक 3413/प्राधि0 दिनांक 15.12.17 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 129 ./आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 11/1/18  
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव